"बिजनेस पोस्ट" के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2008—कार्तिक 23, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री एल. एस. केन, भा. प्र. से. (सीजी-2000) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, जिला बिलासपुर को दिनांक 15-09-2008 से 27-09-2008 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14 एवं 28 सितम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-34/08/23/वियो.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-09-2008 में उल्लिखित अनुसूची क्रमांक "एक" को यथावत् रखते हुए, अनुसूची क्रमांक दो, तीन तथा चार को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजेयन्द्र, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2008

क्रमांक/एफ 1/13/दो गृह/भापुसे/200.—श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/प्रशासन 1), पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को अपनी पुत्री के विवाह हेतु दिनांक 24-11-2008 से 12-12-2008 तक कुल 19 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 23 नवंबर 2008 एवं 13-14 दिसंबर 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/प्रशासन 1), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-11/2008/16.—चूंकि प्रबंध संचालक, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, मर्या. राम्हेपुर, जिला-कबीरधाम के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, छ. ग. शक्कर कारखाना मजदूर संघ, ग्राम-पोडी, तह.-बोरला, जिला-कबीरधाम, छ. ग. द्वारा किया जा रहा है. एवं सेवा नियोजक प्रबंध संचालक, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, मर्या. राम्हेपुर, जिला-कबीरधाम के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51-की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या श्रमिक को सुगर वेज बोर्ड के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाना उचित होगा ?
2. क्या सभी कर्मचारी एलाउंस एवं किराया भत्ता पाने के अधिकारी हैं ?
3. क्या सभी कर्मचारी वर्गीकृत श्रेणी में आते हैं ?
4. कारखाने में ठेका प्रथा बन्द किया जाना चाहिए ?
5. श्रमिक हाजिरी कार्ड/वेतन स्लिप पाने की पात्रता रखते हैं ?
6. श्रमिक अवकाश पाने की पात्रता रखते हैं ?
7. कर्मचारियों को आवास भत्ता/वाहन भत्ता/चिकित्सा सुविधा एवं श्री अशोक सिंह को बैठकी वेतन की पात्रता आती है ?

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-11/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट अध्यक्ष, छ. ग. शक्कर कारखाना मजदूर संघ, ग्राम-पोडी, तह.-बोरला, जिला-कबीरधाम, छ. ग. एवं प्रबंध संचालक, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., राम्हेपुर, जिला-कबीरधाम, छ. ग. के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 01/सी. जी. आई. आर./2008

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-12/2008/16.—चूंकि प्रोप्राइटर, राजाराम मेज प्रोइक्टस्, ग्राम मोहड, जिला-राजनांदगांव के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्टार्च ग्लुकोज मजदूर संघ, श्रम शिविर, बल्देव बाग, राजनांदगांव द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक प्रोप्राइटर, राजाराम मेज प्रोइक्टस्, ग्राम-मोहड, जिला-राजनांदगांव के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूचकांक के वृद्धि दर से दुगनी वृद्धि दर के आधार पर श्रमिकों को महंगाई भत्ता भुगतान किया जाना उचित है ?

2. क्या कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को वरिष्ठता के आधार पर वेतन भुगतान किया जाना उचित होगा ?

3. क्या प्रति श्रमिकों को रु. 100 रु./- की वेतनवृद्धि हेतु नियोक्ता को निर्देशित किया जाना उचित है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता पक्ष को क्या निर्देश [illegible] जावेगा ?

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-12/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्टार्च ग्लुकोज मजदूर संघ, श्रम शिविर, बल्देव बाग, राजनांदगांव एवं प्रोप्राइटर, राजाराम मेज प्रोइक्टस्, ग्राम-मोहड, जिला-राजनांदगांव, छ. ग. के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/सी. जी. आई. आर./2008

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./27/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भाठागांव, प. ह. नं. 105
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.806 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	737	0.112
	772	0.154
	777	1.160
	901	16.380
योग	4	17.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आवासीय प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 25 अक्टूबर 2008

क्रमांक/215/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	851	0.08
	847	0.52
योग		0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-साल्हे कुसमा मार्ग में कुसमा नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 25 अक्टूबर 2008

क्रमांक/218/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-दुर्गूकोंदल

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.26
09	0.04
36	0.12
08	0.10
योग	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- दुर्गूकोंदल, गुलालबोड़ी, दमकसा मार्ग के खण्डी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th October 2008

No. 903/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date she assumes charge of her office, viz. :—

TABLE

Sr. No.	Name of Civil Judge Class-II	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Smt. Shraddha Aakash Shrivastava, IV Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bijapur	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class- II

Bilaspur, the 20th October 2008

No. 906/Confdl./2008/II-2-1/2008.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office: and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions

Division as mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office:

TABLE

S. No. (1)	Name & Present Designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri M. D. Mahilkar, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 24th October 2008

No. 912/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pradeep Kumar Singh, Civil Judge Class-I.	Pendra-Road	Bilaspur	Bilaspur	V Civil Judge Class-I.
2.	Shri Prabodh Toppo, V Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-I

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAV[illegible]eral.

Bilaspur, the 24th October 2008

No. 46/L.G./2008/II-2-24/2003.—Shri H. R. Gurupanch, Judge, Family Court, Ambikapur is hereby granted earned leave for 11 days from 31-10-2008 to 10-11-2008 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gurupanch, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 235 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.